रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 59] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 18, 1981/माघ 29, 1902
No 59] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 18, 1981/MAGHA 29, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नागरिक पूर्ति मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 1981

शुद्धिपत्र

सा का नि. 70 (अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (1) में पृष्ठ 1511-1512 पर प्रकाशित भारत सरकार के नागरिक पूर्ति मंत्रालय के आदेश संख्या सा का नि 717 (अ) तारीख 26 दिसम्बर, 1980 के अंग्रेजी तथा हिन्दी पाठ में सारणी की मद 2 के स्तम्भ 4 में "त्रैमासिक" शब्द का लोप किया जाएगा ।

[सं -9-वी पी (1)/80]

आई एम सहाय, भारत का वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक

Ministry of Civil Supplies

New Delhi, the 18th February, 1981

CORRIGENDUM

G.S.R. 70(E).—In the English and Hindi version of the Order of the Government of India, in the Ministry of Civil Supplies No. GSR 717(E) dated 26th December, 1980 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) at pages 1511-1512 in the Table, in item 2, in column 4, the word 'Quarterly' shall be omitted.

[9-VP(1)/80]

I. M. SAHAI,

VEGETABLE OIL PRODUCTS CONTROLLER FOR INDIA

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981